न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 54/2025 बउनवानी राहूल दूसाद बनाम उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
निवासी 160 गोम्स डीफेन्स कॉलोनी वैशाली नगर जयपुर

GCMS No-2025/ 165 **Appeal Number-321152347621894**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं व अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
9.7.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 23.3.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *सवाईमाधोपुर के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व की सिवायचक एवं बंजड भूमि की तहसील ग्राम पंचायत एवं खसरा वाईज प्रमाणित सूचना* " उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल के माध्यम से ही आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 1105 दिनांक 7.7.2025 से अवगत करवाया कि चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय से होने के कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत तहसीलदार सवाईमाधोपुर को जरिये पत्रांक 416 दिनांक 13.5.2025 से .अन्तरित कर वांछित सूचना उपलब्ध करवाने बाबत लिखा जाने पर तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई/2025/80 दिनांक 18.6.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि सवाई माधोपुर जिलें की खण्डार तहसील को छोडकर शेष सभी तहसीले डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के तहत ऑनलाईन हो चुकी है इसलिए चाही गयी सूचना ई–धरती पोर्टल पर अपना खाता से प्राप्त की जा सकती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.3.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है कि चाही गयीं सूचना ई–धरती पोर्टल पर अपना खाता से प्राप्त करे। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.08.29 17:12:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner